(257)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

R 1868-II/12 प्रकरण क्रमांक /2012 निगरानी

1- राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री आलोक कुमार जैन आयु 32 साल

2- अमित कुमार जैन पुत्र श्री आलोक कुमार जैन आयु 28 साल, निवासीगण - वार्ड नं0 28 बेनीगंज मोहल्ला, छतरपुर, जिला छतरपुर म.प्र.

-- निगरानीकर्तागण

श्री आर० बी० शर्मा, अभि० द्वारा आज दि. 27-6-12 को प्रस्तुत

27-6-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

RBM
27-6-12

1- रमेशकुमार पुत्र स्व.श्री ज्ञानचंद चौरसिया

2- प्रशांत कुमार पुत्र श्री पुरुषोत्तम लाल असाटी

निवासीगण : चेतगिरी कालोनी वार्डनं. 1 छतरपुर जिला छतरपुर

3- मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर

-- रेस्पोडेन्टस

शासकीय अधिवक्ता कार्यालय से आज कोई उपस्थित नहीं
RBM
27/6/12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.1.2011 पारित न्यायालय तहसीलदार तहसील छतरपुर प्रकरण क्रमांक 3/10-11/अ- 3 व उनवान रमेश कुमार बनाम म.प्र. शासन में पारित आदेश के विरूद्ध .

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओरसे निगरानीनिम्नप्रकारप्रस्तुत है:

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:

(3)

(1) यह कि, रेस्पोडेन्ट क्र. 1 व2 द्वारा भूमि स्थित मौजा सौरा, तहसील जिला छतरपुर म.प्र. के भूमि खसरा नं. 1566, एवं 1567 रकबा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1868-दो/2012 जिला छतरपुर राजेन्द्र विरूद्ध रमेश व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार तहसील छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 3/अ-3/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 22-01-2011 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-06-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 01/02/2019
सदस्य